न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

रेफरेन्स/एलआर/2002/2168/जयपुर।

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जयपुर जिला जयपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1– हरबक्श पुत्र गोविन्दराम जाति ब्राहम्ण निवासी धानक्या।
2– भूरी पत्नी नारायण जाति जाट निवासी धानक्या।
3– मुना पुत्र नारायण जाति जाट निवासी धानक्या।
4– श्योनाथ पुत्र मांगू जाति जाट निवासी धानक्या।
5– गोपाल पुत्र गोविन्द राम जाति जाट निवासी धानक्या।
6– लादू पुत्र श्री रूडा जाति जाट निवासी धानक्या।
7– देवा पुत्र रूडा जाति जाट निवासी धानक्या।
8– भोल्या पुत्र रूडा जाति जाट निवासी धानक्या।
9– रामनारायण पुत्र रूडा जाति जाट निवासी धानक्या।
10– काना पुत्र भेरूराम जाति जाट निवासी धानक्या।
11– त्रिलोका पुत्र रूगनाथ जाति जाट निवासी धानक्या।

.....अप्रार्थीगण

एकल–पीठ
श्री केसर लाल मीणा, सदस्य
–––––

उपस्थित :
श्री शिवप्रकाश चौधरी, विद्वान उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी ।
अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

––––

निर्णय

दिनांक :– 30/01/2026.

1– हस्तगत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955 की धारा–82 के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलेक्टर, जयपुर ने अपने आदेश एंव अभिशंषा दिनांक 24–12–2001 से राजस्व मण्डल को प्रेषित किया गया है।

2– रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि तहसीलदार, जयपुर ने रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम धानक्या स्थित आराजी खसरा संख्या 270, 352, 353, 245 व 268 माफी मंदिर श्री सीतारामजी पुजारी हरबक्श पुत्र गोविन्दराम जाति ब्राहम्ण निवासी धानक्या के नाम खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2015 में दर्ज थी जो कालांतर में बिना किसी वैध आदेश के माफी मंदिर के बजाय अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हो गई, जिस हटाकर पुनः खातेदारी माफी मंदिर श्री सीतारामजी के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जाये। न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 24–12–2001 से तहसीलदार का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण

के पक्ष में स्वीकृत खातेदारी को निरस्त कर पुनः उक्त मंदिर के नाम दर्ज करने हेतु हस्तगत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र राजस्व मंडल के समक्ष अभिशंषित करते हुए प्रेषित किया है।

3– अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने एवं उन्हें अपना पक्ष रखने हेतु समुचित एवं पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी अप्रार्थीगण स्वयं अथवा इनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए, जिस पर प्रकरण में विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

4– बहस के दौरान विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विवादित भूमि बाबत् दर्ज अप्रार्थीगण के समस्त खातेदारी इन्द्राजात को निरस्त करते हुए भूमि को वर्तमान जमाबंदी में माफी मंदिर श्री सीतारामजी के नाम पुनः दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

5– विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख खतौनी बंदोबस्त संवत् 2015–2034 के अनुसार ग्राम धानक्या तहसील जयपुर स्थित आराजी खसरा संख्या 274 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 268 रकबा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 270 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 342 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा व खसरा संख्या 343 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि माफी मंदिर श्री सीताराम जी मजकूर के नाम दर्ज है तथा कॉलम संख्या 5 में हरदेवा वल्द लछमना जाट 1/2 लाल्या पि. गंगाराम व माग्या वाल्या गनिया पि. गिरधारी हि 1/2 अकवाम जाट सा.देह के नाम दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2048–2051 के अनुसार खसरा संख्या 268 रकबा 14 बिस्वा अप्रार्थी भूरी बेवा नारायण व मूना पुत्र नारायण कौम जाट के नाम दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2048–2051 के अनुसार खसरा संख्या 245 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा भूरी बेवा नारायण व मूना पुत्र नारायण हि0 1/2 श्योनाथ पुत्र मांगू व गोपाल पुत्र गोविन्दराम हि0 1/2 जाति जाट सा. देह के नाम दर्ज होकर अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। मन्दिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है तथा मन्दिर मूर्ति की भूमियां सार्वजनिक प्रयोजनार्थ धारित की जाती है, जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 एवं 46 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के पक्ष में खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है तथा ऐसी भूमि बाबत् पूर्व में किये गये हस्तांतरण व अंतरण विधिनुसार वर्जित है। चूंकि अप्रार्थीगण हस्तगत प्रकरण में अनुपस्थित रहे तथा प्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्यों से अपने अभिवचनों को साबित किया हैं। उक्त तथ्यों एवं विधिक बिन्दुओं के आलोक में मन्दिर माफी की खातेदारी भूमि का अप्रार्थीगण के नाम हस्तांतरण एवं अन्तरण होना धारा–46 व 16 आर.टी.एक्ट के तहत् विधि विरूद्ध होने से हस्तगत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि पुनः उपरोक्त मंदिर के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

6– परिणामतः हस्तगत् रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के पक्ष में दर्ज उपरोक्त समस्त खातेदारी इन्द्राजों को निरस्त करते हुए विवादित भूमि पुनः माफी मंदिर श्री सीतारामजी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केसर लाल मीणा)
सदस्य